न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. दिनेश कुमार माली पुत्र श्री छोगाराम माली, जाति- माली
   निवासी- नया बाजार, गली नंबर-2, भाटकडा, सिरोही, तह. व जिला- सिरोही
   (विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः- महाकाली एजेन्सी, माली हॉस्टल के सामने, सिरोही, जिला- सिरोही

2. भरत कुमार अग्रवाल, एस.बी. आई. कॉलोनी, आबूरोड़, जिला- सिरोही
   (खाद्यकाराबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्मः- K.C. Enterprises, 157, Indraji Nagar, Bheru Chouk, Sumerpur, Dist. Pali

3- Surjeet Singh Roria, Factory Manager, ITC Limited, Foods Unit, Plot No.1, Sector-11, IIE, SIDCUL, Ranipur, Haridwar-249403
   (नॉमिनी निर्माता फर्म)
   ITC Limited, Foods Unit, Plot No.1, Sector-11, Integrated Industrial Estate, Ranipur, Haridwar-249403 (Uttarakhand)

4- ITC Limited, Foods Unit, Plot No.1, Sector-11, Integrated Industrial Estate, Ranipur, Haridwar-249403 (Uttarakhand)
   पंजीकृत कार्यालयः ITC Limited, Virginia House, 37 J.L. Nehru Road, Kolkata-700071

प्रकरण संख्याः 38/2016

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 27 अगस्त, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 24.6.2016 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.6.2015 को समय 2.00 पी.एम. पर फर्म महाकाली एजेन्सवी, माली हॉस्टल के सामने, सिरोही, जिला- सिरोही पर निरीक्षण हेतु पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति दिनेश कुमार पुत्र माली पुत्र श्री छोगाराम माली, जाति- माली, निवासी- नया बाजार, गली नंबर-2, भाटकडा, सिरोही है एवं महाकाली एजेन्सी पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) की बिक्री करता है। आवेदक

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की। दुकान में रैक में बिक्री हेतु मौजूद Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के 80 पैक्ड पॉउचेज (प्रत्येक 70 ग्राम) में से 28 पैक्ड पॉउचेज (प्रत्येक 70 ग्राम) खरीदे एवं उसकी कीमत 252/- रुपये अदा कर खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या-5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) की सप्लाई के बारे में जानकारी चाहने पर खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार माली ने K.C. Enterprises, 157, Indraji Negar, Bheru Chouk, Sumerpur, Dist. Pali का बिल प्रस्तुत किया। नमूना खरीद रसीद, सप्लाई बिल व मूल फार्म नं.5ए न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) को कागज के डिब्बों में सात-सात पाउचेज रखकर टेप से चिपका कर 4 पैकेट बनाये प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-405 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार माली ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.6.2015 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड बंद लिफाफा श्री हीरालाल माली, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 26.6.2015 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार माली से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) का नमूना S-405 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया एवं Heavy Metals and mono sodium galutamate संबंधित जांच की Facility लेब में नही होने का विवरण भी अंकित पाया गया। संबंधित को जांच रिपोर्ट भिजवाई गई। नमूने की अधूरी जांच रिपोर्ट के संबंध में आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को अवगत कराया गया एवं नमूने की पूर्ण जांच कराये जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया तो आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ने नमूने के दूसरे भाग को जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेट्री, गाजियाबाद भिजवाने के आदेश प्रदान किये। जिसकी पालना करते हुए नमूने के दूसरे भाग को जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेट्री, गाजियाबाद भिजवाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक स्तर (Sub standard) का पाया गया। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक स्तर (Sub standard) के खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) का निर्माण एवं विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधियिम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक स्तर (Sub standard) के खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

.....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

(मुहर: अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०))

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किये।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 27.8.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों तथा पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 25.6.2015 को 2.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म महाकाली एजेन्सी, माली हॉस्टल के सामने, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म महाकाली एजेन्सी में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से दिनेश कुमार माली पुत्र श्री छोगाराम माली, जाति- माली, निवासी- नया बाजार, गली नंबर-2, भाटकडा, सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म महाकाली एजेन्सी के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री लक्ष्मणराम, एन.एम.ए., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री मनोज कुमार माली पुत्र श्री घनश्याम माली, जाति- माली, निवासी- पटवार घर के पीछे, भाटकडा, सिरोही के समक्ष विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता दिनेश कुमार माली को खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 20011 के नियम 2.4.1(3) के तहत प्रपत्र संख्या 5क में भरकर दी तथा दुकान की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के 80 पैक्ड .पाउचेज (प्रत्येक 70 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के 28 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 70 ग्राम) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 252/- (अक्षरे रुपये दो सौ बावन मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार माली व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के

.....पेज पांच पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

कोड एवं क्रमांक S-405, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार माली व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के सात-सात पैक्ड पाउचेज को कागज गत्तो के डिब्बो में रखकर टेप से चिपकाकर 4 पैकेट बनाये तथा प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-405 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार माली व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की। पत्रावली पर उपलब्ध मूल मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार माली व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म महाकाली एजेन्सी में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता दिनेश कुमार माली से खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.6.2015 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री हीरालाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को विश्लेषण जांच हेतु जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 26.6.2015 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) का नमूना संख्या S-405 की

.....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./529/Act/2015/534 दिनांक 17.7.2015 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म महाकाली एजेन्सी, माली हॉस्टल के सामने, सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता दिनेश कुमार माली से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 17.7.2015 में यह भी अंकित किया गया है कि Test for detection/determination of Heavy metals (Lead) and mono sodium glutamate not performed in above mentioned sample due to testing facility not available in this laboratory.

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी दिनेश कुमार माली की फर्म महाकाली एजेन्सी, माली समाज छात्रावास के सामने, सिरोही तथा प्रतिवादी निर्माता फर्म ITC Limited, Food Unit, Plot No.1, Sector-11, Ranipur, Haridwar-249403 को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:संस्था/एफएसएसए/2015/3930-31 दिनांक 29.7.2015 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि यदि उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में Heavy metals (Lead) and mono sodium glutamate की सुविधा उपलब्ध नही होने से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के नमूने में Heavy metals (Lead) and mono sodium glutamate का परीक्षण/निर्धारण नही किया गया। जिस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने उक्त खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के नमूने के द्वितीय भाग को Referral Food Laboratory, गाजियाबाद को विश्लेषण हेतु भिजवाया। प्रकरण में Director, Referral Food Laboratory, गाजियाबाद के पत्र क्रमांक C.318/16-RFL/498 दिनांक 25.4.2016 के द्वारा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को उक्त खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के नमूने का विश्लेषण प्रमाणपत्र संख्या 318/Apr/16-RAJ दिनांक 25.4.2016 प्रेषित किया गया। Director, Referral Food Laboratory, गाजियाबाद के उक्त विश्लेषण प्रमाणपत्र संख्या 318/Apr/16-RAJ दिनांक 25.4.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अन्तर्गत अमानक स्तर (Sub-standard) का एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf) के

.....पेज सात पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया है। Director, Referral Food Laboratory, गाजियाबाद के उक्त विश्लेषण प्रमाणपत्र संख्या 318/Apr/16-RAJ दिनांक 25.4.2016 में यह भी अंकित किया गया है कि Noodle part of sample of Noodle with Masala Mix (Yippee Brand) does not conform to the standards laid down under Regulation No. 2.4.10 of Food Safety & Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations 2011, as the sample shows Ash insoluble in dil. HCI (on dry weight Basis) above the maximum prescribed limit and Nitrogen (on dry basis) below the minimum prescribed limit. It is thus sub-standard under Section 3(1)(zx) of FSS act, 2006. Further, the label of sample contravene Regulation No. 2.2.1:3/2.3.1:5 of Food Safety and Standards (Packaging and labeling), Regulations, 2011. It is Thus misbranded under section 3(1)(zf) of FSS Act, 2006.

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनेश कुमार माली पुत्र श्री छोगाराम माली, जाति- माली, निवासी- नयाबाजार, गली नंबर-2, भाटकडा, सिरोही की फर्म महाकाली एजेन्सी, माली समाज छात्रावास के पास, सिरोही ने उक्त खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के 70-70 ग्राम के पैकड पाउचेजों को बिल इनवोईस नम्बर 122189/122189 दिनांक 10.6.2015 के द्वारा K.C. Enterprises, 157, Indraji Nagar, Sumerpur से क्रय किया था, जो कि प्रतिवादी भरत कुमार अग्रवाल, एसबीआई कॉलोनी, आबूरोड़ की फर्म है। प्रतिवादी भरत कुमार अग्रवाल की फर्म K.C. Enterprises, 157, Indraji Nagar, Sumerpur ने उक्त खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के 70-70 ग्राम के पैकड पाउचेजों को निर्माता फर्म ITC Limited, ब्रांच ऑफिस जयपुर से Ref. No.:JOD/0091310 Billing Doc No.: 98437784 दिनांक 05.6.2015 के द्वारा क्रय किया था। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म ITC Limited द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का एवं मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। चूंकि प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अमानक स्तर (Sub-standard) एवं मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ Noodles with Masala Mix (Yippee Brand)(Proprietary Food) के निर्माण व विक्रय हेतु निर्माता फर्म ITC Limited दोषी है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना.

....पेज आठ पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 व 52 के तहत निर्माता फर्म ITC Limited, Foods Unit, Plot No.1, Sector-11, Integrated Industrial Estate, Ranipur, Haridwar-249403 (Uttarakhand) (पंजीकृत कार्यालय: ITC Limited, Virginia House, 37 J.L. Nehru Road, Kolkata-700071) पर राशि रुपये 35,000/- (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति(Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म ITC Limited के नॉमिनी (प्रतिवादी संख्या-3) को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म ITC Limited पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही